DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI --DATED-- TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024

10 parks to get theme-based makeover to attract children

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: To create more child-friendly and interactive spaces in the city, Municipal Corporation of Delhi (MCD) has identified 10 parks, mostly located on main roads, to develop theme-based facilities.

Unlike conventional parks with just swings and green corners, these parks will have playful interactive sculptures or swings in different shapes and designs inspired by interesting themes. To keep children engaged, puzzle activities will also be added. For example, one park will be developed on the theme of sea world, with swings in blue and in the shapes of marine animals; another will be a robotic-themed park, with swings and sculptures making movements like robots.

A park will also be inspired by DNA, the genetic code unique to every individual. "We have decided to create fibre swings in the shpae of DNA with multiple entrances so that many children can play there at a time," said an official. India's national bird peacock will be the theme of another park, where 25ft-tall sculptures will be installed at the center and the swings will be coloured or designed like peacock feathers.

"The idea behind introducing the themes is to increase children's general knowledge and interests. The parks will be equipped with multi-play equipment, a gazebo, swings and slides," said an official.

The 10 locations are Outer Ring Road in Mangolpuri, SU block Pitampura in Keshavpuram, Hauz Khas parking in south zone, Sector 21 Rohini park in Narela, Qudsia Park in Sadar Paharganj zone, near Ganga Ram Hospital in Karol Bagh, Central Park in Dilshad Garden, Bhagat Singh Park in Civil Lines, Swasthya Vihar in Shahdara south and Vikaspuri in west zone.

Out of its 12 zones, MCD has successfully implemented the concept at three places — Nandan Van at Greater Kailash I, New Friends Colony and Woodland Adventure Park at Dwarka. It has also developed an adventure park at Safdarjung Development Area, but it needs to be improved, said officials.

In 2015, Delhi High Court had directed the civic bodies to create spaces where children could play safely. In a 2016 study, Delhi Commission for Protection of Child Rights also expressed the same view.

The erstwhile south corporation developed Nandan Van in 2018 as a park with many recreational activities for the children up to 12 years. "We aim to create similar places in other zones, dotted with interactive spaces to engage children both physically and mentally," said the official.

At the Dwarka park, developed on around one acre of land, DDA has installed innovative closures and rope bridges between trees. "Full of shades, people can spend time here even in the afternoon. With tree decks and colourful cartoon characters all over the park, children have a lot of fun here," said the official.

AAP slams 'unlawful' use of bulldozers in Delhi, BJP hits back

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: AAP and BJP blamed each other on Monday for the demolition of several jhuggis in Mehrauli's Gosiya Colony in Feb 2023. While urban development minister Saurabh Bharadwaj alleged that Delhi Development Authority (DDA) had demolished the jhuggis and BJP blamed Delhi govt for it.

Bharadwaj said the truth came out when local residents moved Delhi High Court, which rebuked DDA for its "unlawful" act. Addressing a press conference, he claimed, "The high court, while hearing the plea of the basti dwellers, imposed a stay on the demolition of about 400 such jhuggis and multistorey buildings, and also reprimanded the BJP-led central government's agency DDA. HC questioned how the slum could be demolished when it was listed in the clustered area of Delhi Urban Shelter Improvement Board."

Bharadwaj

Delhi BJP, however, accused Bharadwaj of shedding "crocodile tears" and raising "political rhetoric" instead of arranging relief work.

Bharadwaj said the central government that suspended officers on trivial matters should explain what action it was planning to take against the officers who demolished the slums illegally. "So far no action has been taken against any officer because all of them were only following the directives of the BJP-led central government," he alleged.

He claimed several listed slum clusters had been demolished in nearly one year on BJP's directions. "Archaeological Survey of India demolished a slum located in Tughlaqabad Fort. Several listed slum clusters in Dhaula Kuan, Pragati Maidan, Sundar Nursery, Karkardooma and Jasola have been illegally demolished. Central govt promised 'Jahan Jhuggi Wahin Makaan', but did not keep it."

The AAP leader said, "BJP MPs should tell if they have spoken to the DDA chairman or wrote to him or had any meeting with the LG to stop the demolition of slums."

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor claimed the slum clusters were demolished either on court orders or due to the development requirement by Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department and DDA. "The responsibility of resettlement lies with DUSIB. Bharadwaj should explain what DUSIB has done for the resettlement of slum dwellers in the past 10 years," Kapoor demanded.

"The poor people of Delhi are disappointed that nearly 50,000 resettlement scheme flats built in various areas of Delhi have been lying unallocated for the past 12 years. Many of these flats are in bad condition due to lack of maintenance," he alleged. "Urban development minister Bharadwaj should explain why his govt was yet to allot these flats to the needy."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times PAPERS------------------------------------DATED-13-02-2024

AAP, BJP spar over slum rehabilitation

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Aam Aadmi Party (AAP) on Monday alleged that the Centre and its agencies have carried out a series of demolition drives at slum, or JJ, clusters in Delhi over the last year, and that no rehabilitation has been carried out in these cases.

The Bharatiya Janata Party (BJP) hit back, accusing the AAP government in Delhi of not doing anything for the resettlement of slum dwellers, and of engaging in political rhetoric.

Speaking at a press conference, Delhi cabinet minister Saurabh Bharadwaj said several demolition drives have occurred over the past year, including three recently in Jasola, Karkardooma, and Adarsh Nagar. "Over the last year, people are settling under flyovers and public spaces. These are the people whose houses are being demolished. I appeal to BJP MPs to stop these demolitions," he said.

Bharadwaj said that no action has been taken against the officers who were responsible for these drives. He added that the courts have pulled up the agencies in many cases. "There was a demolition drive in Tughlaqabad and more than 1000 homes were destroyed without any rehabilitation. Mehrauli colony, Dhaula Kuan, Pragati Maidan, Sunder Nursery JJ cluster and so many other places which were listed clusters of DUSIB have seen demolition. Such listed clusters can't be damaged without rehabilitation," he said.

In response, the BJP said that the Delhi government was engaging in political rhetoric, rather than arranging relief work.

"Bhardwaj mentioned that in some places in Delhi, slums have been demolished either on the orders of some court or due to the requirements of development by the Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department, and DDA. The minister raised unfortunate political rhetoric instead of arranging relief work. The responsibility of resettlement work in Delhi lies with the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) of the Delhi government. It would be better if Bharadwaj explains what DUSIB has done for the resettlement of slum dwellers in the last 10 years," Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said.

Kapoor said that nearly 50,000 resettlement scheme flats in various areas of Delhi have been unallocated for the past 12 years. "Many of these flats have deteriorated due to lack of maintenance, but the Kejriwal government has not allocated a single flat to anyone" he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 13 फरवरी 2024

क्लस्टर एरिया में डिमोलिशन पर AAP ने BJP से पूछे सवाल

■ विस, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर डूसिब के लिस्टेड क्लस्टर एरिया में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। साथ ही यह भी साफ किया कि इस कार्रवाई का दिल्ली सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली सरकार इसके विरोध में है। पार्टी ने दिल्ली के सातों बीजेपी सांसदों से भी पूछा कि झुग्गी-बस्तियों में तोड़फोड़ को रोकने और उजाड़े गए लोगों को आशियाना दिलाने के लिए उन्होंने क्या कभी डीडीए के वाइस चेयरमैन या दिल्ली के एलजी को कोई पत्र लिखा या मुलाकात की? उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी सांसदों से अपना रुख साफ करने की मांग भी की है।

कहा, कार्रवाई का दिल्ली सरकार से कोई लेना-देना नहीं है

पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली के गोसिया कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर हजारों लोगों के आशियाने उजाड़े थे। जब आम आदमी पार्टी ने इस गैरकानूनी काम का विरोध किया, तो बीजेपी के कई सांसद और विधायक जनता के बीच यह झूठ फैलाते नजर आए कि यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। बाद में जब कॉलोनी के लोग हाई कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट ने ऐसी करीब 400 बस्तियों और वहां मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों के डिमोलिशन पर रोक लगाई।

वहीं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि विकास के लिए और कोर्ट के आदेश पर कुछ जगह झुग्गियां तोड़ी गई हैं। झुग्गियों में रहने वालों की अगर इतनी ही चिंता दिल्ली सरकार को है, तो उनके लिए पुनर्वास उपलब्ध क्यों नहीं कराया?

तीन और चार मंज़िला इमारतों को रीडिवेलप करना ज़रूरी : एक्सपर्ट

अधिक जगह में बनी इन इमारतों में सुविधाएं भी नहीं

NBT कायापलट
घर वहीं, सूरत नई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए काफी जरूरी है कि 20 से 30 साल पहले बनी तीन और चार मंजिला डीडीए पॉकिट्स को रीडिवेलपमेंट बढ़े। ये बिल्डिंग्स 30 साल पहले की जरूरतों के आधार पर बनी हुई हैं। ऐसी बिल्डिंगों में लिफ्ट, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और पार्किंग जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इनमें ग्रीन स्पेस के लिए भी कोई इंतजाम नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह के डीडीए पॉकिट्स दिल्ली जैसे शहर में अब सिर्फ जगह की बर्बादी ही है। इसलिए इन की आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर डीडीए को यह पहल करनी चाहिए।

नए नियमों के मुताबिक बनाई जा सकती है हाईराइज बिल्डिंग: एक्सपर्ट के अनुसार सेक्टर-9 द्वारका डीडीए पॉकिट में 468 फ्लैट्स हैं। यह चार मंजिला इमारत है, जबकि यहां पर नए नियमों के मुताबिक हाईराइज बिल्डिंग बनाई जा सकती है। बिल्डिंग की पाइपलाइन की लाइफ की समस्या का अंत होगा। कम्युनिटी हॉल मिलेगा। पार्किंग एरिया मिलेगा। बाउंड्री वॉल ऊंची हो जाएंगी और डेढ़ गुना अधिक बड़ा फ्लैट मिलेगा। मास्टर प्लान-2021 के तहत यह सब करना संभव है। अब इसकी जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि डीडीए अपनी योजनाओं को गति नहीं दे पा रहा है। मौजूदा बिल्डिंगें पुरानी होती जा रही हैं । पहले सेक्टर का काम भी बरसों बाद शुरू नहीं हो पाया है। इस तरह की बिल्डिंगों को सबसे पहले रीडिवेलपमेंट के लिए चुना जाना चाहिए। यहां की आरडब्ल्यूए इस प्लान को लेकर उत्साहित भी दिख रही है। इससे होगा यह कि डीडीए लोगों के मन की झिझक मॉडल दिखाकर कम कर पाएगी। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरों से इस तरह की पॉकिट में काफी छेड़छाड़ हो चुकी है। यहां बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की चेकिंग भी नहीं होती। जो समय खराब हो गई उसे कम खर्च में मेंटेन करवाकर लोग काम चला रहे हैं।

एक्सपर्ट के अनुसार डीडीए अपने रेजिडेंशल प्रोजेक्ट की लाइफ 50 साल बताती है। यह लाइफ तब होती है, जब फ्लैट्स को बेहतर मेंटेन किया जाए। लेकिन ज्यादातर डीडीए पॉकिट में बिल्डिंग के मुख्य स्ट्रक्चर से ही लोगों ने काफी छेड़छाड़ की है। लोगों ने अपने फ्लैट्स के साइज मॉडिफिकेशन के नाम पर बढ़ा लिए हैं। छत पर एक्स्ट्रा कमरे तक बन गए हैं। इससे बिल्डिंग का लोड बढ़ गया है। इसकी वजह से साल दर साल यह बिल्डिंगें कमजोर हो गई है। सिस्मिक जोन-4 के लिहाज से यह बिल्डिंगें दिल्ली के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कायदे से इस तरह की बिल्डिंग के लिए डीडीए को खुद पहल करनी चाहिए।

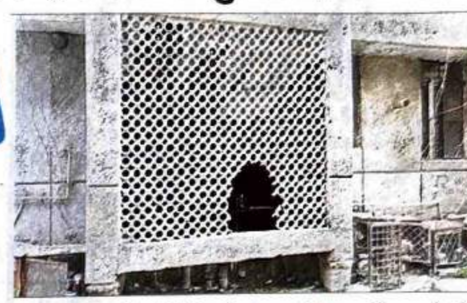

जल्द हो रीडिवेलपमेंट, लेट होने पर बढ़ता जाएगा खतरा

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ए.के. जैन के अनुसार डीडीए टीओडी जैसे प्रोजेक्ट को रफ्तार दे रहा है। इससे मंशा साफ है कि डीडीए भी दिल्ली को ऊंचाई की तरफ विकसित करने की प्लानिंग शुरू कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि इन पुरानी हो चुकी बिल्डिंगों से रीडिवेलपमेंट की शुरुआत की जाए। यह काम जितना लेट किया जाएगा, दिल्ली पर उतना ही खतरा बढ़ता रहेगा। डीडीए के पॉकिट में बॉलकनी गिरने, वॉल सीलिंग गिरने, छज्जे गिरने की समस्याएं आती रहती हैं। यह भविष्य में बढ़ने वाली है और बड़ा हादसा हो सकता है। 40 साल से अधिक बिल्डिंगों के लिए तो यह प्लानिंग अभी शुरू कर देनी चाहिए। मास्टर प्लान-2021 से आगे बढ़ते हुए इसके लिए एसओपी तैयार करनी चाहिए, कमिटी का गठन होना चाहिए।

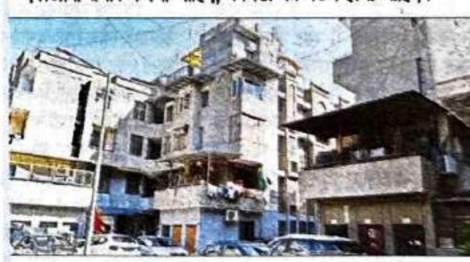

आगे के प्लान पर भी हो काम

आर्किटेक्ट और रिसर्चर सुमंत शर्मा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि द्वारका की डीडीए पॉकिट में रहने वाले लोग रीडिवेलपमेंट के लिए तैयार हैं। सबसे पहले डीडीए को इसी तरह के पॉकिट से शुरुआत करनी चाहिए। यह काम एक बार शुरू हो गया तो आसान हो जाएगा। लेकिन रीडिवेलपमेंट के साथ डीडीए को उसके आगे के प्लान पर भी काम करना होगा। यानी उतनी ही जमीन पर जब अधिक फ्लोर बनेंगे तो इन अपार्टमेंट के आसपास की सीवरेज, बिजली, सड़कों, फुटपाथ, पार्किंग, मार्केट, पार्क, स्कूल आदि की जरूरतें उसी तरह से बढ़ेंगी।

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर कोई सवाल हैं तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्टस की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

13 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

झुग्गियों को उजाड़ रही भाजपा : भारद्वाज

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमवार से एक साल पहले भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली स्थित गोसिया कॉलोनी में दिनदहाड़े बुलडोजर चलाकर हजारों लोगों का आशियाना उजाड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया तो भाजपा नेता यह झूठ फैलाते नजर आए कि यह ध्वस्तीकरण दिल्ली सरकार कर रही है।

■ संवाददाता सम्मेलन में भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई की जानकारी दी

आप कार्यालय में सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारद्वाज ने कहा कि इस बात का खुलासा लोगों के बीच तब हुआ जब कॉलोनी के लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट ने 400 ऐसी बस्तियों और वहां स्थित मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई। साथ ही डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि यह झुग्गी बस्ती एरिया लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल है तो आप उसका ध्वस्तीकरण कैसे कर सकते हैं।

भारद्वाज ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर अधिकारियों को निलंबित करने वाली भाजपा सरकार बताए कि गैर कानूनी तरीके से हजारों लोगों के आशियाने उजाड़ने वाले अधिकारियों पर उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। दिल्ली में पिछले एक साल से लगातार लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ने का काम भाजपा शासित केंद्र सरकार कर रही है।

मंत्री बताएं कि ड्यूसिब ने 10 साल में कितने फ्लैट दिए : कपूर

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को चुनौती देते हुए कहा है कि वह बताएं कि दिल्ली सरकार के ड्यूसिब ने 10 साल में झुग्गी बस्ती के लोगों के पुनर्वास के लिए क्या काम किया है। गरीबों के लिए जो फ्लैट पूर्व सरकार ने बनाए थे, दिल्ली सरकार उन फ्लैटों को भी आवंटित नहीं कर पाई है।

भाजपा प्रवक्ता ने मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने के बजाए केजरीवाल सरकार को गरीबों के पुनर्वास के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीडीए ने जो कार्रवाई की है, उसमें कहीं न कहीं कोर्ट के आदेश का पालन करने की बाध्यता थी। सौरभ भारद्वाज जिस झुग्गी बस्ती को तोड़े जाने की बात कर रहे हैं वह डीडीए, दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की साझा कार्रवाई थी।

उनका मानना है कि झुग्गी बस्ती को तोड़ा जाना दुखद है, लेकिन उन्हें बचाने के बजाए राजनीतिक बयानबाजी उससे भी ज्यादा दुखद है। कपूर ने कहा कि दिल्ली में पुनर्वास की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डयूसिब) की है। उन्हें यह बताना चाहिए कि डयूसिब ने कितनी झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास किया है। मंत्री के इस बयान में हताशा नजर आ रही है। दिल्ली के नरेला समेत विभिन्न इलाकों में करीब 50 हजार फ्लैट पुनर्वास स्कीम के तहत तैयार हैं। देखभाल के अभाव में अब वह जर्जर होने लगे हैं।

the pioneer
| TUESDAY | FEBRUARY 13, 2024

AAP slams BJP on demolition actions in city

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The AAP on Monday hit out at the BJP over "demolition actions" in the city allegedly by the central agencies in the past few months, as it sought to know the stand of seven Delhi MPs of the BJP on the issue.

Addressing a press conference here, Delhi Urban Development Minister and AAP's national spokesperson Saurabh Bharadwaj also claimed that people were being "rendered homeless" as JJ clusters and other structures were being dismantled "without rehabilitating" the affected people. One can see many people living beneath flyovers and on footpaths, and these are people who have been rendered homeless "due to such actions", the AAP leader told reporters.

A number of "demolition actions" are being taken in the national capital by central agencies, Bharadwaj claimed, as he hit out at the BJP, the ruling party at the Centre. He alleged that bulldozers have also been run over "listed" clusters. As per rules, such listed structures warrant that rehabilitation of affected people be undertaken before taking any demolition action, he added.

The Delhi minister said that these people voted for the BJP MPs in the national capital. "I want to ask all the seven MPs of BJP in Delhi whether they are standing with these demolition actions. If not, what have they done to stop demolition, have they met the vice chairman of the DDA or written any letter to him?

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI | TUESDAY, 13 FEBRUARY, 2024

AAP slams BJP over 'demolition actions' in national capital

NEW DELHI: The AAP on Monday hit out at the BJP over "demolition actions" in the city allegedly by central agencies in the past few months, as it sought to know the stand of seven Delhi MPs of the saffron party on the issue.

Addressing a press conference here, Delhi Urban Development Minister and AAP's national spokesperson Saurabh Bharadwaj also claimed that people were being "rendered homeless" as JJ clusters and other structures were being dismantled "without rehabilitating" the affected people.

Saurabh Bharadwaj

There was no immediate reaction from the BJP or any central agency.

> 'I want to ask all the seven MPs of BJP in Delhi whether they are standing with these demolition actions. If not, what have they done to stop demolition, have they met the vice chairman of the DDA or written any letter to him?'

One can see many people living beneath flyovers and on footpaths, and these are people who have been rendered homeless "due to such actions", the AAP leader told reporters.

A number of "demolition actions" are being taken in the national capital by central agencies, Bharadwaj claimed, as he hit out at the BJP, the ruling party at the Centre.

He alleged that bulldozers have also been run over "listed" clusters. As per rules, such listed structures warrant that rehabilitation of affected people be undertaken before taking any demolition action, he added. The Delhi minister said that these people voted for the BJP MPs in the national capital.

"I want to ask all the seven MPs of BJP in Delhi whether they are standing with these demolition actions. If not, what have they done to stop demolition, have they met the vice chairman of the DDA or written any letter to him? Were any of them present at the site of demolition when such actions were being taken? Have they met the (Delhi) L-G," Bharadwaj asked. He also alleged that "some agencies" often "mislead courts to get a demolition order", adding full information is "not being furnished to courts" on status of clusters.

Later in a statement, the AAP alleged that central authorities have "unlawfully used bulldozers" on thousands of people's homes.

The BJP-led government "has failed to fulfil PM Modi's promise of 'Jahan Jhuggi, Wahin Makan'", it said. AGENCIES

पंजाब केसरी
DELHI

आरोप आदर्श नगर में आजादपुर मंडी के समीप डीडीए द्वारा झुग्गी बस्ती को उजाड़ने का काम जारी

केंद्र ने गैरकानूनी तरीके से लाखों लोगों के घरों पर चलाया बुलडोजर : भारद्वाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को केंद्र सरकार पर लाखों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही कड़कड़डूमा स्थित जेजे कैंप को भी इसी प्रकार से भाजपा सरकार की डीडीए ने गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया और उन लोगों को भी रहने के लिए किसी अन्य स्थान पर कोई घर नहीं दिया गया। और आज सोमवार को मुझे हमारे एक विधायक द्वारा यह सूचना मिली है कि आदर्श नगर में भी आजादपुर मंडी के समीप भाजपा सरकार की एजेंसी डीडीए एक झुग्गी बस्ती को उजाड़ने का काम कर रही है, अर्थात इस वक्त भी डिमोलिशन का काम जारी है।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से लगभग 1 साल पहले फरवरी 2023 में भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली में स्थित गोसिया कॉलोनी में दिनदहाड़े बुलडोजर चलाकर हजारों लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने इस गैर कानूनी कृत्य का विरोध किया तो भाजपा के कई सांसद और विधायक जनता के बीच यह झूठ फैलते हुए नजर आए, कि यह डिमोलिशन का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। सौरभ ने कहा कि इस बात का खुलासा जनता के बीच तब हुआ जब कॉलोनी के लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने बस्ती के लोगों की याचिका सुनते हुए लगभग 400 ऐसी बस्तियों और वहां स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के डिमोलिशन पर रोक लगाई और साथ ही साथ भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि यह झुग्गी बस्ती एरिया लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल है, तो आप उसका डिमोलिशन कैसे कर सकते हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज व अन्य।

अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

सौरभ ने कहा कि यह झुग्गी बस्ती एरिया दिल्ली सरकार के डूसिब विभाग की लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल था, उसके बावजूद भी भाजपा की केंद्र सरकार गैर कानूनी तरीके से उसका डिमोलिशन कर रही थी। भाजपा शासित केंद्र सरकार से प्रश्न पूछते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर अधिकारियों को निलंबित करने वाली भाजपा सरकार बताए कि गैर कानूनी तरीके से हजारों लोगों के आशियाने उजाड़ने वाले अधिकारियों पर उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की। सौरभ ने कहा कि अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि यह सभी अधिकारी भाजपा शासित केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन कर रहे थे।

गैरकानूनी तरीके से एक साल से चल रहा है लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ने का काम

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में लगभग 1 साल से लगातार गैरकानूनी तरीके से लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ने का काम भाजपा शासित केंद्र सरकार कर रही है। तुगलकाबाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं किस प्रकार से भाजपा सरकार की ईएसआई ने तुगलकाबाद झुग्गी बस्ती एरिया को उजाड़ कर लगभग ढाई लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया और आज तक उन लोगों को रहने के लिए कोई अन्य स्थान केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया। धौलाकुआं, प्रगति मैदान, सुंदर नर्सरी, जसोला ऐसी कई जगह हैं, जहां पर भाजपा शासित केंद्र सरकार ने लिस्टेड क्लस्टर एरिया को गैरकानूनी तरीके से उजाड़ कर लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS---------- मंगलवार, 13 फरवरी 2024 --------DATED--------------------

केंद्र ने गैर कानूनी तौर पर लाखों लोगों के घरों पर चलाया बुलडोजर : सौरभ

कैबिनेट मंत्री ने लगाया 'जहां झुग्गी वही मकान' कानून का पालन न करने का आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गत एक साल से दिल्ली में लगातार गैर कानूनी तौर पर लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ने का काम कर रही है। महरौली में मकान व तुगलकाबाद, धौला कुआं, प्रगति मैदान, सुंदर नर्सरी, जसोला में झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलाकर लगभग कई लाख लोगों को बेघर कर किया है। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को रहने के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया।

पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था, मगर इन तमाम लिस्टेड क्लस्टर एरिया के बेघर हुए लोगों को झुग्गियों के बदले रहने के लिए कोई मकान देने की पहल नहीं की गई है। इस कारण आज जगह-जगह फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली, कड़कड़डूमा आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के आशियाने उजाड़ दिए और भाजपा के नेता तोड़फोड़ के लिए आप की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे, लेकिन कोर्ट में उनकी पोल खुल गई है। महरौली के लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई और डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बस्ती एरिया लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल है। इस कारण इसको तोड़ा नहीं जा सकता।